

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240404 CG-DL-E-18112022-240404

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] No. 590] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] (पहला संशोधन) विनियम, 2022

मि. सं. 1-18/2017 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) के साथ पिठत धारा 12 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

- 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन-(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
  - (2) ये भारत के राजपत्र में इसके अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।
- 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 में, विनियम 4 की धारा 4.10 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
  - 4.10 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बिना, मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर अधिसूचित मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता हो, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए।

विनियम 5 की धारा5.7 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5.7 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन से मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर अधिसूचित मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता हो, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए।

टिप्पणी : भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में मि. सं. 1-8/2017 (सीपीपी-II) दिनांक 12 फरवरी, 2018 के तहत मूल विनियम प्रकाशित किए गए थे।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-]]]/4/असा./412/2022-23]

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION [CATEGORISATION OF UNIVERSITIES (ONLY) FOR GRANT OF GRADED AUTONOMY] (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

- **F. No. 1-18/2017(CPP-II).**—In exercise of powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations to amend the University Grants Commission (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018.
  - 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) (First Amendment) Regulations, 2022.
    - (2) These shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  - 2. In the University Grants Commission (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018, the clause 4.10 of regulation 4 shall be replaced by:
    - 4.10 Universities may offer courses in the Open and Distance Learning mode, without approval of the Commission, provided it satisfies all the conditions laid down under the regulations, by whatever name they are called, pertaining to open and distance learning mode notified by the UGC from time to time.

Clause 5.7 of regulation 5 shall be replaced by :

5.7 Universities may offer courses in the Open and Distance Learning mode, with approval of the Commission, provided it satisfies all the conditions laid down under the regulations, by whatever name they are called, pertaining to open and distance learning mode notified by the UGC from time to time.

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide F. No. 1-8/2017(CPP-II) dated 12<sup>th</sup> February, 2018.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./412/2022-23]